



5/1,

फोन/फैक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 4755 / 12-1 देहरादून,

दिनांक 30/4, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांखरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी. /01/146/2018/एफ0सी0/2579 दिनांक 31-03-2021 एवं आपका ई0डी0एस0, दिनांक 31 मार्च, 2021

महोदय,

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र में इंगित आनलाईन आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा अपने पत्र सं0 1563/12-1, दिनांक 17 अप्रैल, 2021(प्रति मय संलग्न) आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार।

भवदीय

(डी0के0सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 4755/12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि-उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला को उनके पत्र सं0 1563/12-1, दिनांक 17 अप्रैल, 2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0के0सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय-उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला,दूरभाष एवं फैंक्स नं०- 01373-223433,Eail- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1563 / 12-1 पुरोला: दिनांक 17/4/ 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित (44 मे०वा०) क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में (FP/UK/HYD/22889/2016)।
सन्दर्भ :- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र 8बी/यू.सी. पी/01/146/2018/एफ.सी /2579 दिनांक 31.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

बिन्दु संख्या - (1) प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला से सम्बन्धित है जिसका निस्तारण उनके द्वारा अपने पत्रांक - 1227/12-1, पुरोला दिनांक 16.12.2020 द्वारा कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या - (2) प्रस्ताव पर एन.बी.डब्ल्यू.एल से अनुमोदन गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत आने वाली 22.067 है० सिविल सोयम भूमि हेतु लिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग पुरोला द्वारा पार्ट - (ii) के para (ii) में No उल्लिखित है जो कि सही है क्योंकि टौन्स वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.25 है वन भूमि हस्तान्तरित होनी है जो किसी वन्य जीव विहार या राष्ट्रीय पार्क का भाग नहीं है। संशोधित NPV Calculation sheet संलग्न है।

उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या पार्ट - (ii) के additional information document में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कोमल सिंह)

उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क,

पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कोमल सिंह)

उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क,

पुरोला, उत्तरकाशी



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०-01373-223328
E-Mail:- dfotons-forest-uk@nic.in
वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
पत्राक-1227/12- पुरोला,दिनांक, 16-12-2020।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्द्रा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में।
(FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ- भारत सरकार की पत्रांक सं०-8बी/यू०सी०पी०/01/146/2018/एफ०सी०/1855 दिनांक 27-11-2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 01 से मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हस्तान्तरित होने वाली 24.217 है० वन भूमि के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 50.00 है० चयनित पुरोला प्रभाग में अवनत वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र सं०-366/12-1 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसका निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	वनीकरण हेतु चयनित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	स्थल निरीक्षण दिनांक
1	देवदुंग कक्ष सं०-03	10.00	04.07.2020
2	रतेड़ी कक्ष सं०-04	10.00	04.07.2020
3	जाख कक्ष सं०-13बी	10.00	01.07.2020
4	जाख कक्ष सं०-08बी	10.00	07.10.2020
5	रामा कक्ष सं०-04ए	10.00	07.10.2020

क्षतिपूरक वनीकरण स्थलों (सी०ए० पैच) में उपस्थित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार सूची के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि इस कार्य में अनावश्यक समय एवं श्रमशक्ति (Man power) लगेगा। इससे पूर्व भी इस तरह की प्रक्रियाओं में वृक्षों का गणना कार्य नहीं किया जाता रहा है। उपरोक्त क्षेत्र वन घन्त्व के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिनका वन घन्त्व 0.4 से कम है।

अतः उपरोक्त क्षेत्र को वन घन्त्व के आधार पर ही संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि- 1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महा प्रबन्धक/परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी उत्तरकाशी।

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।